गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

जी.बी.यू./003/वित्त/5.38(Vol-II)/2017- 4108

दिनॉंकः 04.10.2017

समस्त स्कूल अधिष्ठाता/ प्रभारी अधिष्ठाता गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।

शिक्षिक सत्र 2017-18 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्र/ छात्राओं द्वारा बेवसाइट scholarship.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन नवीनीकरण (Renewal) और नवीन (Fresh) ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित समय-सीमा की अविध बढाये जाने के सम्बन्ध में।

समाज कल्याण विभाग, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग विभाग द्वारा सभी वर्गो (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक) के अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षिक सत्र 2017-18 में गतवर्ष में अध्ययनरत् एवं नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि 01.07.2017 से 01.11.2017 तक बढ़ा दी गयी है।

छात्र-छात्राओं द्वारा त्रुटियों को छात्र-छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना (फाइनल प्रिंट आउट निकलने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में) है। छात्र-छात्राओं को स्वयं बैवसाइट पर लॉगिन करके त्रुटि को सही/ ठीक (Correct) करना होगा। इसलिए अपना-अपना लॉगिन आई०डी० व पासवर्ड छात्रवृत्ति आवेदन में त्रुटियाँ ठीक करने हेतु सुरक्षित रखें।

समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अंतिम तिथि का इन्तजार न करे, आवेदन भरने की प्रक्रिया हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए जाँच हेतु आवेदन का प्रिन्ट लेकर प्रमाण-पत्रों से मिलान कर आवेदन का फाइनल सबिमट कर प्रिंट आउट लेकर समस्त प्रमाण-पत्रों को संलग्न कर सम्बन्धित स्कूलो के कार्यालयों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

> (पंकज शर्मा) **नोडल अधिकारी**/ वित्त अधिकारी

प्रतिलिपिः

- 1. कुलपति महोदय, की निजी सचिव को संज्ञान में लाने हेतु।
- 2. कुलसचिव महोदय, को सूचनार्थ।
- 3. अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4. मुख्य अभिरक्षक (महिला/पुरुष) एवं समस्त छात्रावास अभिरक्षकों को छात्रावास सूचना पट पर लगवार्यें जाने हेतु।
- 5. चैयरपर्सन (परीक्षा) को सूचनार्थ एवं गतवर्ष के अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अंकतालिक उपलब्ध कराने की कार्यवाही अविलम्ब कराने का कष्ट करें।
- 6. सिस्टम मैनेजर, को सूचनार्थ एवं जी०बी०यू० की बैवसाइट पर शीर्ष में शैक्षिक सत्र २०१७-१८ हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सूचना लाइन प्रदर्शित कराने हेतु।

नोडल अधिकारी/ वित्त अधिकारी